न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :—स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—161/2023

1. मनीष कुमार पुत्र बलवन्त जाति सुथार निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।.

—— वादी

बनाम

1. बलवन्त पुत्र गंगाराम जाति सुथार निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिलाहनुमानगढ।
2. ऋतिका पुत्री बलवन्त जाति सुथार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता उर्मिला देवी पत्नी बलवन्त जाति सुथार निवासी खिनानियांतहसील टिब्बी जिलाहनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

——प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. **श्री सुभाश चन्द्र गर्ग अधिवक्ता —— वादी**
2. **श्री करनैल सिंह अधिवक्ता ——प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक :— 15.02.2024

वादी मनीष कुमार ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 21 के.एन.एन. के खाता संख्या 33/39 में कुल 3.289 है0 में से 1/4 हिस्सा व चक नम्बर 2—ए बारानी के खाता संख्या 38/38 में कुल 2.353 है0 में से 1/4 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।नकल जमाबन्दी संलग्न वाद—पत्र है।

वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी खातेदारी भूमि है। वाद—पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बंटवारा हो गया है व बंटवारा में प्रतिवीदी संख्या 2 ने अपने हक व हिस्सा का त्याग किया हुआ है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 20 के.एन.एन. में भी कृषि भूमि दर्ज है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम की आराजी वादी को बंटवारा में दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] नहीं होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम की आराजी अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाकर चक नम्बर 21 के. एन.एन. के खाता संख्या 33/39 व चक नम्बर 2—ए बारानी के खाता संख्या 38/38 में से प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त का नाम कलमजन करवाने का अनुतोष चाहा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त के नाम से चक नम्बर 21 के.एन.एन. के खाता संख्या 33/39 में कुल 3.289 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा व चक नम्बर 2–ए बारानी के खाता संख्या 38/38 में कुल 2.353 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर चक नम्बर 21 के.एन.एन. के खाता संख्या 33/39 व चक नम्बर 2–ए बारानी के खाता संख्या 38/38 में से प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो अता फरमावे

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 स्वंय व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जरिये कुदरती वली द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी खातेदारी भूमि है। वाद–पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी क़ा वादी व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बंटवारा हो गया है व बंटवारा में मुझ प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक व हिस्सा का त्याग किया हुआ है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 20 के.एन.एन. में भी कृषि भूमि दर्ज है। वाद–पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की आराजी वादी को बंटवारा में दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकमराज जमा करवाता चला आ रहा है इसलिए वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 21 के.एन.एन. के खाता संख्या 33/39 व चक नम्बर 2–ए बारानी के खाता संख्या 38/38 में से प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व ऐतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है व हम प्रतिवादीगण राजीनामा से पूर्णतया सहमत है। जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियां पेश की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपने शपथ पत्र, पैतृक सम्पति बाबत जमाबन्दी आदि पेश किये गये व दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर [illegible]

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है। वादी को वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की आराजी जो खातेदारी [illegible] जो वादी को बंटवारा में प्राप्त हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर [illegible] पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की आराजी वादी [illegible] नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करने का निवेदन किया गया है। वाद में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद–पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की आराजी वादी को बंटवारा में प्राप्त हुई है व प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा त्याग किया हुआ है तथा वाद–पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक जबाबदावा सहमति वाद स्वीकार किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:13 IST
Reason: SelfAttested

का निवेदन किया। वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दीं, जबाबदावा सहमति, पैतृक सम्पति बाबत प्रस्तुत जमाबन्दी, शपथ पत्र साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयां प्रस्तुत की गई है उन दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक जबाबदावा सहमति वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहे है। वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र व साक्ष्य के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गतवाद–पत्रमें वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त के नाम से चक नम्बर 21 के. एन.एन. के खाता संख्या 33/39 में कुल 3.289 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा व चक नम्बर 2–ए बारानी के खाता संख्या 38/38 में कुल 2.353 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 21 के.एन.एन. के खाता संख्या 33/39 व चक नम्बर 2–ए बारानी के खाता संख्या 38/38 में से प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनाक 15.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:13 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर टिब्बी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–161/2023

1. मनीष कुमार पुत्र बलवन्त जाति सुथार निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—— वादी

बनाम

1. बलवन्त पुत्र गंगाराम जाति सुथार निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिलाहनुमानगढ।
2. ऋतिका पुत्री बलवन्त जाति सुथार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता उर्मिला देवी पत्नी बलवन्त जाति सुथार निवासी खिनानियांतहसील टिब्बी जिलाहनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

——प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 15.02.2024

वादीगण की ओर से श्री सुभाष चन्द्र गर्ग अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैल सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.2.24 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावंली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त के नाम से चक नम्बर 21 के.एन.एन. के खाता संख्या 33/39 में कुल 3.289 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा व चक नम्बर 2–ए बारानी के खाता संख्या 38/.38 में कुल 2.353 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 21 के.एन.एन. के खाता संख्या 33/39 व चक नम्बर 2–ए बारानी के खाता संख्या 38/.38 से प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त का नाम कलमजन किये जाने के आदेश जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:13 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर

माण कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही होगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 15.02.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुद्रा

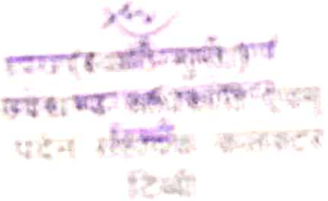

[illegible]
पदेन [illegible] कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
रूपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
कमिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	—
आदेशिका की तामिल	—		
योग	—	योग	—

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:13 IST
Reason: SelfAttested